आर.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00176

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 13/2019 (सुभाष बनाम दीलिपसिंह वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 10.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.11.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/582 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.05.2022 को जारी की गई।

10/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 13/2019

1. सुभाष पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी खातीयों का बास
2. बंशीधर पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी खातीयों का बास
3. पतासी देवी पत्नी सांवलराम जाति जाट निवासी खातीयों का बास
4. मंजू देवी पत्नी सज्जन कुमार जांगिड़ निवासी खातीयों का बास
5. भवंरलाल पुत्र परसाराम जाति मीणा निवासी खातीयों का बास
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह
7. हरनाथसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह

वादी

बनाम

1. दीलिप सिंह दत्तक पुत्र सूरज कवंर व मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह
2. बडौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक मंड्रेला जरिये शाखा प्रबन्धक
3. बडौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक डाबड़ी धीरसिंह जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ, खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 10.11.2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत डाबड़ी धीरसिंह में आयोजित कैम्प में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर वाद पत्र के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जरिये वकील इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र के अनुसार वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमती प्रदान की। संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम खातियों का बास पटवार हल्का डाबड़ी धीरसिंह की सरहद में स्थित गत ख0न0 388 रकबा 27 बीघा 8 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 16 रकबा 6.93 हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि गणपतसिंह पुत्र अगर सिंह जाति राजपूत की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। गणपत सिंह के फौत होने पर उनकी पत्नी ठुकरानी जाटूजी बेवा गणपत सिंह के नाम आई। ठुकरानी जाटूजी के फौत होने पर उसके पांच वारिस मंगेज सिंह, बदनसिंह, फूलसिंह, पृथ्वीसिंह व प्रतापसिंह प्रत्येक ब. हिस्सा 1/5 आई। मंगेज सिंह के फौत होने पर उसकी पत्नी सूरज कवंर के नाम दर्ज हुई। सूरज कवंर व पृथ्वीसिंह ने अपना 2/5 सम्पूर्ण हिस्सा सांवलराम पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी खातियों का बास को विक्रय कर दिया। फूलसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा भंवरलाल पुत्र परसाराम जाति मीणा को विक्रय कर दिया। प्रतापसिंह के फौत होने पर उसके वारिसों द्वारा द्वारा प्रताप सिंह का सम्पूर्ण हिस्सा मंजू देवी पत्नी सज्जनकुमार जाति जांगिड़ को विक्रय कर दिया। बदनसिंह के फौत होने पर उसके हिस्से की 1/5 भूमि उसके वारिस हरनाथ सिंह व लक्ष्मण सिह के हिस्से में आई। सांवलराम के फौत होने पर उसके वारिसान वादीगण संख्या 1 ल 3 अपने 2/5 हिस्से पर, वादी संख्या 4 मंजू देवी अपने 1/5 हिस्से पर, वादी संख्या 5 भंवरलाल अपने 1/5 हिस्से पर तथा वादी संख्या 6 व लक्ष्मण सिंह व हरनाथ सिंह अपने 1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त है। सूरज कवंर व पृथ्वीसिंह अपने 2/5 हिस्से का विक्रय पत्र सांवलराम पुत्र हिराराम को कर दिया था जिसका नामान्तरकरण 338 दर्ज हुआ एवं कब्जा सांवलराम को सौंप दिया गया था। सावंलराम के वारिस भी 2/5 हिस्से पर वर्तमान में काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूलवश 1/5 दर्ज हो गया। एवं 1/10

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

यह कि शरहद मौजा खातीयों का वास पटवार हल्का डाबडी धीरसिंह तहसील

व 1/10 सूरज कवंर के नाम दर्ज हो गया। जबकि वास्तविक स्थिति सांवलराम पुत्र हिराराम का 2/5 दर्ज होना चाहिये था। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायाचित है।

अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम खातियों का बास पटवार हल्का डाबड़ी धीरसिंह की सरहद में स्थित हाल ख0न0 16 रकबा 6.93 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में सूरज कवंर व पृथ्वीसिंह का नाम रिकार्ड से हजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को सम्पूर्ण भूमि में से 2/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 को 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/5 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि में आने जाने के लिये सुविधा अनुसार रास्ता कायम कर खाता विभाजन करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 4 को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की चाही गई सिद्वि अनुसार धोषणा की जाकर एवं इसी अनुसार हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होना जाहीर किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीसंख्या 1 लगायत 3 की ओर से अपने दावा के समर्थन में दिनांक 22.1.1974 को उप पंजीयक झुझुनू में तस्दीकशुदा मूल बिचौती पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 22.1.1974 में तस्दीकशुदा बिचौती पत्र में पृथ्वीसिंह पुत्र गणपत सिंह व सुरज कवंर बेवा मंगेजसिंह ने ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के खेत खसरा नम्बर 388 तादादी 27 बीधा 8 बिश्वा में उनके हिस्से की 11 बीधा भूमि का सावंरमल पुत्र पुत्र श्री हिराराम कौम जाट को बेचान करना अंकित है। इसके साथ नामान्तरकरण संख्या 338 की दिनांक 17–1–1975 को जारी सत्यापित प्रतिलिपि पेश की जिसमें पृथ्वीसिंह पुत्र गणपत सिंह व सुरज कवंर बेवा मंगेज सिंह के हिस्से की 11 बीधा भूमि का नामान्तरकरण सांवरमल पुत्र हिराराम जाट के नाम दर्ज हुआ है। उपलब्ध रिकार्ड इस बात की ओर इसारा करते है कि पृथ्वीसिंह पुत्र गणपत सिंह व सुरज कंवर बेवा मंगेज सिंह की 2/5 हिस्से की भूमि का बेचान सांवरमल पुत्र हिराराम जाट को हुआ है तथा बेचान पत्र के आधार पर सावंरमल के नाम 2/5 हिस्से का नामान्तरकरण भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। कैम्प के दौरान मजमे आम में उपस्थित मौतबिरन व्यक्तियों से सलाह–मशवरा किया गया सबने रिकार्ड दुरूस्त करने की सिफारीश की। अतः लोक अदालत की पवित्र भावना को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध दस्तावेजात एवं मजमे आम की सलाह–मशवरे के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम खातियों का बास पटवार हल्का डाबडी धीरसिंह की सरहद में स्थित हाल ख0न0 16 रकबा 6.93 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में सूरज कवंर व पृथ्वीसिंह का नाम रिकार्ड से हजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को सम्पूर्ण भूमि में से 2/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 को 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/5 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में मौके पर कब्जे काश्त एवं रिकार्ड में उक्त धोषणा अनुसार काश्तकारान के मध्य रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

10/11/21

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

1 यह कि शरहद मौजा खातीयों का वास पटवार हल्का डाबडी धीरसिंह तहसील